# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)**

**अपील संख्या : 2022/295**

रामनिवास आत्मज भंवरिया उर्फ भंवरलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

——अपीलांट

**बनाम**

1. रूस्तम खां आत्मज मल्लू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भीमपुरा केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. अजीज खां आत्मज मल्लू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भीमपुरा केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. हुकमचन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 की ओर से ।

**निर्णय** **दिनांकः 31.10.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 87/2021 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा में पुराने खसरा नम्बर 621/178 की 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के पिता भंवरिया आतज भागा जी लश्करी को नियमानुसार आवंटित की गयी जो इंतकाल नं0 325 से खातेदारी में दर्ज की गयी । नकल जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 पेश है। इस मध्य प्रतिवादी नं0 3 के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट कार्य कर दिया और सेटलमेन्ट के दोरान उक्त ख० नं० 621/178 के नये खसरा नम्बर 851 की 0–89 हेक्टर कायम किये गये। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038– से 2057 सलंग्न है। उपरोक्त भूमि पर वादी के पिता बतोर खातेदार टेनेन्ट काबिज काश्त चले आ रहे थे। वादी के पिता ने उक्त भूमि को अपने जीवनकाल में कभी भी किसी भी व्यक्ति को बेचान, रहन, दान, वसीयत व अन्तरण नहीं किया। किन्तु दोराने सेटलमेन्ट उक्त भूमि को सहवन से सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने हरभजन पाल व हरवंश लाल, नेत्रप्रकाश पिसरान सुन्दरलाल सेठी निवासी गुमानपुरा, कोटा के खाते दर्ज करदी।

नकल जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2057 पेश है। सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने हरभजन पाल व हरबंश लाल, नेत्रप्रकाश पिसरान सुन्दरलाल सेठी निवासी गुमानपुरा, कोटा के खाते गलत रूप से मिली भगत कर दर्ज करदी जिसका कि सेटलमेन्ट अधिकारियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त हरभजन पाल व हरवंश लाल, नेत्रप्रकाश को भी किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके बावजूद भी हरभजन पाल व हरबंश लाल, नेत्रप्रकाश ने उक्त भूमि को करनेल सिंह उर्फ हरभजन सिंह आत्मज मुकन्द सिंह जट सिक्ख निवासी सुखपुरा को बेचान करदी तथा करनेल सिंह उर्फ हरभजन सिंह ने उक्त भूमि प्रतिवादी नं० 1 व 2 को बेचान कर दी तथा प्रतिवादी नं० 1 व 2 ने विभाजन करा कर खसरा नम्बर 851 की पूर्वी साइड की 0–45 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम व प्रतिवादी नं० 2 के नाम खसरा नम्बर 1090/851 की 0–44 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी पेश है। जो गलत है। जब कि सेटलमेन्ट विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि को वादी के पिता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के नाम दर्ज करने का व बाद में गलत बेचान से अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज करने का प्रतिवादी नं० 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से व उक्त गलत रूप से हुये बेचान वादी के पिता व वादी के अधिकारों के विपरीत है इस कारण वादी उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने व प्रतिवादी नं० 1 व 2 के खाते से हटा कर वादी अपने नाम खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी के पिता का देहावसान काफी समय पूर्व हो चुका है वर्तमान में वादी अपने पुत्रों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के सम्बन्ध में पटवारी हल्का के पास गया तो उन्होने बताया गया कि उसके पिता के नाम जमीन चली आ रही थी। इस पर वादी ने राजस्व रिकार्ड को तलाश कर जमाबन्दीयां आदि की नकले दिनांक 21.10.20 व 11.11.20 को प्राप्त की। इस पर वादी अपनी भूमि पर दिनांक 06.01.2021 को गया तो प्रतिवादी नं0 1 व 2 से उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज करने की कहने पर प्रतिवादी नं० 1 व 2 ने वादी को भूमि पर आने से मना कर दिया तथा धमकी दी कि आयन्दा भूमि पर आया तो उसके हाथ पैर तोड़ देगे व भूमि को आगे रहन बेचान कर देगें। प्रतिवादी नं० 1 व 2 को उक्त अवैध कृत्य करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी। प्रतिवादी नं. 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व रहन बेचान, अन्तरण करें। इस कारण उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान पुराने नम्बर 621/178 की 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि गलत रूप से हरभजन लाल व अन्य के नाम दर्ज करने पर हरभजन व अन्यत्र द्वारा उक्त भूमि करनेल सिंह को व करनेल सिंह द्वारा प्रतिवादी नं0 1 व 2 को बेचान करने व विभाजन करा कर अलग अलग खाते दर्ज कराने पर दिनांक 06.01.2021 को उक्त भूमि को प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा वादी के नाम खाते दर्ज कराने से इन्कार करते हुये खुर्द बुर्द व रहन बेचान करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। प्रतिवादी नं0 3 राजस्थान सरकार भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी नं0 3 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे – कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की पुराने खसरा नम्बर 621/167 की 5 बीघा 10 बिस्वा बाद सेटलमेंट वर्तमान नये ख0नं0 851 की 0–45 हेक्टर, 1090/851 की 0.44 हेक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की पुराने खसरा नम्बर 621/167 की 5 बीघा 10 बिस्वा बाद सेटलमेट वर्तमान नये ख0नं0 851 की 0–45 हेक्टर, 1090/851 की 0–44 हेक्टर भूमि प्रतिवादी न० 1 व 2 के खाते से हटायी जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे किं प्रतिवादी नं. 1 व 2 ग्राम भीमपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की ख0नं0 851 की 0–45 हेक्टर, 1090/851 की 0–44 हेक्टर भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण आदि नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। प्रतिवादी नं0 3 को आदेश दिया जाये कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। वादी को प्रतिवादीगण से मुकदमे का खर्चा दिलाया जावे। अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 24.11.2022 द्वारा वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज कर दिया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 24.11.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलांट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि एवं न्याय संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 621/178 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा आराजी अपीलांट के पिता भंवरिया आत्मज भागाजी को आवंटन कर कब्जा प्रदान किया तथा बाद आवंटन आवंटन शर्तों की पालना करने से आवंटन अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान करने से इंतकाल नम्बर 325 से उक्त आराजी अपीलांट के पिता के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की गई जिस पर अपीलांट के पिता जीवनभर काबिज काश्त रहे और उनके स्वर्गवास बाद अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त तथ्य अपीलांट द्वारा मौखिक साक्ष्य व

दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर देने के बावजूद भी अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलांट के पिता के नाम दर्ज आराजी बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 851 रकबा 0.59 हैक्टर आराजी सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कर्नेल सिंह आत्मज हरबंस सिंह के नाम दर्ज करदी व कर्नेल सिंह द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करवादी उक्त आराजी अपीलांट के पिता द्वारा न तो कर्नेल सिंह को कभी बेचान की और न ही रेस्पोडेन्ट को कब्जा प्रदान किया है किन्तु फिर भी सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कर्नेल सिंह के साथ मिलीभगत करके कर्नेल सिंह के नाम तथा बाद में रेस्पोडेन्ट के नाम आराजी विधि के प्रावधानों के विपरीत दर्ज करदी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलांट द्वारा वाद पत्र को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित किया है जिसका खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा नही किया गया है। किन्तु फिर भी वादी का वाद पत्र साबित नही होना मानकर वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि वादी का वर्णित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त है तथा वादी द्वारा कब्जा प्रमाणित कर देने के बावजूद भी वादी का वाद खारिज कर दिया जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो की पालना किये बिना ही तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं कानूनी नजीरों को गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही वादी का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता भंवरिया उर्फ भंवरलाल आत्मज भागा के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 621/178 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है। जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा सम्वत् 2025 से 2028 तक की जमाबन्दी प्रस्तुत है। यह कि ग्राम भीमपुरा स्थित आराजी के संबंध में सेटलमेन्ट कार्य किया गया और बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 851 रकबा 0.89 कायम किये गये इस बाबत् मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 प्रस्तुत है। अपीलांट के पिता द्वारा उक्त आराजी किसी को बेचान नही की गयी है और न ही इस बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। सेटलमेन्ट विभाग को अपीलांट के खातेदारी की आराजी के संबंध में परिवर्तन करने का कानूनी रूप से कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपीलांट को बिना सूचना व जानकारी के रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलांट द्वारा अपनी आराजी के संबंध में सेटलमेन्ट से पूर्व के व सेटलमेन्ट के बाद के दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजो से साबित है कि खसरा नम्बर 851 जो मिलान क्षेत्रफल से कायम किये गये है बिना किसी आधार के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किया है जिसे अपीलांट दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी साक्ष्य व स्वयं के बयानों से प्रमाणित किया है इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई दस्तावेज अथवा अपीलांट के वाद का खण्डन नही करने के बावजूद भी अपीलांट का दावा खारिज कर दिया जो डिक्री फरमाया जाना आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

6. रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2038 से सम्वत् 2057 की जमाबन्दी अनुसार हरबंशलाल, हर भजनपाल, नेत्रप्रकाश पिसरान सुन्दरदास सेठी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। हरबंशलाल, हर भजनपाल व नेत्रप्रकाश द्वारा विवादित आराजी का विक्रय करनेल सिंह को कर दिया था तथा करनेल सिंह से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित आराजी रेस्पोण्डेन्ट नम्बर 1 व 2 ने क्रय कर ली, जो वर्तमान में रेस्पोन्डेन्टस् नम्बर 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विवादित आराजी पर पूर्व मे हरबंशलाल वगैरा काबिज रहे तथा उनके बाद करनेल सिंह काबिज रहा, तथा वर्तमान में रेस्पोन्डेन्टस् नम्बर 1 व 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी अपीलांट द्वारा झूठा वाद कारण बनाकर दावा पेश किया है, जो प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज होने योग्य है। वादीगण के पिता को वाद कारण तत्समय ही पैदा हो गया था, लेकिन वादीगण के पिता द्वारा उस समय कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध मे नहीं की गई, इसलिए अपीलांट वादीगण अब उपरोक्त कार्यवाही करने के लिये – एस्टोप्ट है। अपीलांट द्वारा अपनी मौखिक बहस मे यह भी कथन किया है कि वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है, जबकि लश्करी कोम सवर्ण जाति मे आती है। वादीगण अपीलांट को धारा 63 (वी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो जाने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार का अवसान हो चुका है। अपीलांट द्वारा सेटलमेण्ट से पूर्व की तथा सेटलमेण्ट के बाद की आधार वर्ष की जमाबन्दी पेश नहीं की है। जिस कारण वादीगण का वाद अस्पष्ट होने से माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से खारिज किया है। अंत में अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अपील अपीलांट सव्यय खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 यथावत फरमाये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया। भू प्रबंध से पूर्व की जमाबंदी सं 2025 – 28 के अनुसार ख0 न0 621/178 की 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि भंवरिया आत्मज भागा कौम लश्करी खातेदार इ0 न0 325 से दर्ज रिकार्ड होना अंकित है। मिलान क्षेत्रफल सं0 2038 – 57 से गत ख0 न0 621/178 के नये खसरा न0 851 रकबा 0.89 है0 बना है। भू प्रबंध जमाबंदी संवत् 2038–57 के अनुसार ख0 न0 851/0.89 हरभजनपाल, हरवंशलाल, नेत्रप्रकाश पि0 सुंदरलाल सेठी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत वाद में उल्लेखित विक्रय पत्रों तथा तत्संबंधित नामांतरकरण की प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से भू प्रबंध से पूर्व एवं बाद में खातेदारों के नाम परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में खसरा भू प्रबंध संख्या 2034 की नकल पेश की है। जिसमें कॉलम सं0 25 में अंकित नोट – "मि0 नं0 81 दि0 02.05.1981 ASO के आदेशानुसार भंवरिया का नाम खारिज कर हरभजनपाल, हरवंशलाल, नेत्रप्रकाश सेठी के नाम इन्द्रजात किया।" उपरोक्तानुसार उल्लेखित भू प्रबंध विभाग की मि0 सं0 81 दिनांक 02.05.1981 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है तथा ASO के आदेश की कोई प्रति भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके कारण यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि भू प्रबंध द्वारा किस आधार पर भंवरिया का नाम खारिज किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग ने क्या व किस प्रकार त्रुटि की है? इसे साबित करने का भार वादी पर है। इस प्रकार वादी अपीलांट अपील में वर्णित तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहा है। भू प्रबंध के बाद उक्त भूमि ख0 न0 851 की 0.

45 एवं 1090/851 की 0.44 के प्रतिवादी रेस्पो0 कम 01 व 02 रिकार्डेड खातेदार सिद्ध होते हैं। सी.पी.सी. के आदेश 18 के प्रावधानों व भारतीय साक्ष्य अधिनिमय 1872 के तहत वादी को अपना वाद स्वयं साक्ष्यों/दस्तावेजों से साबित करना होता है। परन्तु वादी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपने कथनों को पर्याप्त साक्ष्यों/दस्तावेजों के अभाव में साबित करने में असफल रहे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

9. निर्णय आज दिनांक 31.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Partt 1V - B

# अपील में डिक्री

## (आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

### बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

**अपील संख्या : 2022/295**

रामनिवास आत्मज भंवरिया उर्फ भंवरलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

——अपीलांटगण

**बनाम**

1. रूस्तम खां आत्मज मल्लू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भीमपुरा केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. अजीज खां आत्मज मल्लू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भीमपुरा केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

——रेस्पोडेन्टगण

**वाद पत्र संख्याः 87/2021**

रामनिवास आत्मज भंवरिया उर्फ भंवरलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

**– वादी**

**बनाम**

1. रूस्तम खां आत्मज मल्लू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भीमपुरा केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. अजीज खां आत्मज मल्लू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भीमपुरा केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

**–प्रतिवादीगण**

# अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 87/2021 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.11.2022 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 31.10.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री घनश्याम नागर, एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 की ओर से श्री हुकमचन्द जैन के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 87/2021 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2022 बहाल रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 31.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

**मुहर**

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा